भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1071

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

हज यात्रा के लिए मुसलमानों को राजसहायता

1071. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रा पर जाने के लिए मुसलमानों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2018 में मुसलमानों को हज यात्रा पर राजसहायता देना बंद कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की मुसलमानों को हज यात्रा पर राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या भूमिका है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): भारत सरकार, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को हज यात्रा पर जाने के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। वर्ष 2018 से हज सब्सिडी पूरी तरह से वापस ले ली गई है। अब, हज का पूरा खर्च स्वयं तीर्थयात्रियों द्वारा वहन किया जाता है। हज यात्रियों को सीधे तौर पर कोई वितीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 28609 में अपने आदेश दिनांक 08.05.2012 और 13.04.2013 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि हज सब्सिडी को समाप्त किया जाना अपेक्षित है और केंद्र सरकार को इसकी राशि को उत्तरोत्तर कम करने का निदेश दिया ताकि सब्सिडी 10 साल की अवधि के भीतर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय (MoCA), जिसने भारतीय हज समिति के हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था की और एयरलाइंस को देय हवाई किराए के लिए सब्सिडी प्रदान की, ने वर्ष 2012 के बाद से हज संचालन के लिए सब्सिडी को उत्तरोत्तर कम कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा हज सब्सिडी शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

******